प्रो० एच०के० सहगल
कुलपति
Prof. H.K. Sehgal
Vice Chancellor

कार्या./Off. : +91-512-2570450
फैक्स/Fax : +91-512-2570006
ई–मेल/e-mail : harash_sehgal@hotmail.com

सीएसजेएमयू/वीसीसी/093/2011
मार्च 14, 2011

आदेश

विश्वविद्यालय की परीक्षा-प्रणाली में विभिन्न अनियमित्ताओं जैसे छात्रों द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग करना, परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल जैसी स्थितियां होना तथा परीक्षा के उपरांत अंको की हेरा-फेरी किये जाने की घटनायें घटित होने के फलस्वरूप अयोग्य, अनुचित साधनों में विश्वास रखने वाले तथा परीक्षाओं को गंभीरता से ग्रहण न करके अनुचित तरीकों से लाभान्वित होने वाले परीक्षार्थियों को हत्तोसाहित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग को रोके जाने सम्बंधी नियम जिन्हें परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.03.2001 की मद संख्या 2 पर लिये गये निर्णयानुसार लागू किया गया था, उन्हें आगामी 25 मार्च, 2011 से प्रस्तावित परीक्षाओं के पूर्व संशोधित किया जाना, दण्ड के मानकों को पुनः निर्धारित किया जाना तथा अवांछित स्थितियों को रोके जाने हेतु कठोर निर्णय लिया जाना अपरिहार्य हो गया हैं ताकि परिश्रमी, श्रेष्ठ तथा गंभीरता से अध्ययन करने वाले छात्रों के अधिकारों का हनन न होने पाये ।

अतः मैं, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13(6) के अंतर्गत, कुलपति को प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नलिखित नियमों को विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा 2011 से प्रभावी किये जाने के आदेश पारित करता हूं :-

	अनुचित साधन प्रयोग का स्वरूप	निर्धारित दण्ड
1	विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में किसी भी परीक्षार्थी द्वारा अपनी उत्तरपुस्तिका पर किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह बनाये जाने पर अथवा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के किसी भी स्थान/भाग पर अपना अनुक्रमांक धर्म-चिन्ह या इस प्रकार का अन्य कोई लेखांकन जिसका पूछें गये प्रश्नों से कोई सम्बंध न हो, के भी प्रयोग को अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा ।	**परीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तिका को मूल्यांकित नहीं कराया जायेगा तथा उस प्रश्नपत्र/विषय(जैसी भी स्थिति हो) में परीक्षार्थी को शून्य अंक प्रदान करते हुये परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।**
2	नकल सामग्री (लिखित रूप में विषय से सम्बन्धित कोई सामग्री, शरीर के किसी अंग पर पहने हुये वस्त्र पर लिखित विषय सम्बंधी सामग्री, रूमाल/डेस्क, दीवाल, स्केल, ज्योमैट्री/पेन/पेन्सिल बाक्स/राइटिंग पैड पर विषय से सम्बन्धित लिखित विवरण प्राप्त होने पर, हस्त लिखित चिट या छपी हुयी पुस्तक के पन्नों पर विषय/प्रश्न पत्र से सम्बन्धित सामग्री या मोबाईल फोन या प्रोग्रामेबुल कैलकुलेट्रर्स या विषय सम्बंधी पठन सामग्री अथवा पुस्तक इत्यादि परीक्षा परिसर अथवा परीक्षा कक्ष में ले जाने पर) अथवा अनुचित साधन प्रयोग की रिपोंट परीक्षा केन्द्र से प्राप्त होने पर।	अनुचित साधन प्रयोग के समय परीक्षार्थी के द्वारा लिखित उत्तरपुस्तिका को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त उत्तरपुस्तिका के समस्त उत्तरों को 'शून्य' माना जायेगा । परीक्षार्थी को नई उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी तथा उस उत्तर पुस्तिका को ही मुल्यांकित किया जायेगा अर्थात नकल पकड़े जाने के समय तक परीक्षार्थी द्वारा लिखे गये समस्त उत्तर शून्य माने जायेगें ।
3	अनुचित साधन प्रयोग सम्बंधी प्रपत्र भरने से इंकार करने पर अथवा पकड़ने वाले सक्षम अधिकारी से अभद्र व्यवहार करने पर	एक वर्ष की परीक्षा निरस्त मानी जायेगी

क्रमशः -2.

HKSehgal

प्रो० एच०के० सहगल
कुलपति
Prof. H.K. Sehgal
Vice Chancellor

कार्या./Off. : +91-512-2570450
फैक्स/Fax : +91-512-2570006
ई–मेल/e-mail : harash_sehgal@hotmail.com

4	अवैध सामग्री न देना और तत्परता से नष्ट कर देना या निगलने पर	एक वर्ष की परीक्षा निरस्त कर–दी जायेगी व अगले वर्ष की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा अर्थात दो वर्ष का दण्ड अध्यारोपित होगा ।
5	आपराधिक व्यवहार करने के फलस्वरूप एफ.आई.आर. पंजीकृत होने पर **अथवा** एफ.आई.आर होने तुल्य व्यवहार किये जाने पर	एक वर्ष की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी व अगले दो वर्षों की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा अर्थात तीन वर्ष का दण्ड अध्यारोपित होगा ।
6	परीक्षा केन्द्र अथवा मूल्यांकन के समय उत्तर पुस्तिका केन्द्र से बाहर लिखी हुयी पायी जाने पर **अथवा** परीक्षा केन्द्र अथवा मूल्यांकन के समय उत्तर पुस्तिका किसी अन्य छात्र द्वारा लिखी हुयी पायी जाने पर तथा दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के उत्तर एक समान पाये जाने पर **अथवा** उत्तर पुस्तिका में केन्द्र से बाहर लिखे हुये पृष्ठ पाये जाने पर **अथवा** उत्तर पुस्तिका कवर पृष्ठ/ उत्तर पुस्तिका बदली हुयी पाये जाने पर **अथवा** अन्य परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के साथ सामुहिक रूप से नकल किये जाने पर **अथवा** अवैध सामग्री से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर परीक्षक द्वारा नकल किये हुये पाये जाने पर **अथवा** परीक्षा केन्द्र से उत्तर पुस्तिका लेकर भागने पर अथवा उत्तर पुस्तिका फाड़ने पर **अथवा** अनुचित साधन प्रयोग मे पकड़े जाने पर मुक्ति पाने के उद्देश्य से केन्द्र/विश्वविद्यालय मे धमकाने, अनुचित दवाब डालने अथवा रिश्वत देने जैसे अवैधानिक तरीके अपनाने पर	एक वर्ष की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी व परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों को सदैव के लिए विश्वविद्यालय का छात्र होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा विधिवत नोटिस इत्यादि देते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7 **उपरोक्तानुसार (क्रम संख्या 1 से 6 तक) उल्लिखित दण्ड के उपरांत जब कभी भी अनुचित साधन प्रयोग करने वाला छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होगा तो उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिये रु0 5000 का अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य होगा ।**

HKSehgal

क्रमशः -3